रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 19, 2016/श्रावण 28, 1938
No. 272] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19, 2016/SRAVANA 28, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क सुरक्षा)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2016

सं. 25035/101/2014-आरएस.—जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 की रिट याचिका (सिविल) संख्या. 235 में सेवलाईफ फाउंडेशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में अपने आदेश दिनांक 29 अक्तूबर, 2014 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय विधान मंडल द्वारा उचित विधि निर्माण किए जाने तक गुड सेमेरिटन के बचाव के संबंध में आवश्यक निदेश जारी करने का निर्देश दिया है;

और जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने सड़क पर किसी घायल व्यक्ति अथवा किसी पीड़ित व्यक्ति की सहायता करने वाले गुड सेमेरिटन के बचाव के लिए अर्थात् जो एक बाईस्टैंडर अथवा राहगीर हो, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I खंड-1 में दिनांक 12 मई, 2015 को दिशानिर्देश प्रकाशित किए थे;

और जबकि दिनांक 12 मई, 2015 के उक्त दिशा-निर्देशों पैरा 1 के उप-पैरा (7) और 8 के अनुसार ऐसे गुड समेरिटन की पुलिस द्वारा अथवा मुकदमे के दौरान जांच-पड़ताल करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार किया जाना था , जिसने स्वैच्छिक रूप से उल्लेख किया हो कि वह उस दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी भी है।

और जबकि, केंद्रीय सरकार ने पुलिस द्वारा अथवा ट्रायल के दौरान किसी प्रत्यक्षदर्शी की जांच पड़ताल के लिए अपेक्षित मानक संचालन प्रक्रिया को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड 1 में दिनांक 21 जनवरी, 2016 को प्रकाशित किया है।

और जबकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 30 मार्च, 2016 के आदेश के तहत उपर्युक्त रिट याचिका में केन्द्रीय सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया से संबंधित 21 जनवरी, 2016 की अधिसूचना में कतिपय संशोधनों के साथ उपर्युक्त दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया को अनुमोदित किया है तथा निर्देश दिया है कि चूंकि संविधान के अनुच्छेद 142 के साथ पठित अनुच्छेद 32 के अंतर्गत माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित

नियम/कानून को अनुच्छेद 141 के अधिदेश के अनुसार अनिवार्य माना जाएगा इसलिए संशोधित दिशा-निर्देशों का संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य सरकारों के सभी पदाधिकारियों द्वारा अनुपालन किया जाएगा ।

और जबकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 30 मार्च, 2016 के निर्देशों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार, फा. सं. आरटी-25035/101/2014-आरएस, दिनांक 21 जनवरी, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना को एतद्वारा संशोधित करती है:-

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में उप-पैरा 7 के लिए निम्नलिखित उप-पैरा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'7. यदि गुड समैरिटन के शपथ-पत्र को दायर किया जाता है तो इसे पुलिस अधिकारी द्वारा जांच-पड़ताल के दौरान संपूर्ण बयान के रूप में समझा जाएगा । बयान रिकोर्ड किए जाने के मामले में संपूर्ण बयान को एक ही जांच में रिकोर्ड किया जाएगा' ।

अभय दामले, संयुक्त सचिव

नोट :- मूल अधिसूचना को फा. सं. 25035/101/2014-आरएस, दिनांक 21 जनवरी, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **I** में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(ROAD SAFETY)

NOTIFICATION

New Delhi, 9th August, 2016

No. 25035/101/2014-RS.—Whereas the Hon'ble Supreme Court in the case of Savelife Foundation and another V/s. Union Of India and another in Writ Petition (Civil) No. 235 of 2012 vide its order dated the 29th October, 2014, inter alia, directed the Central Government to issue necessary directions with regard to the protection of good Samaritans until appropriate legislation is made by the Union Legislature;

And whereas, pursuant to the directions of the Hon'ble Supreme Court the Central Government published the guidelines in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 12th May 2015 for protection of the good Samaritans, i.e. a person who is a bystander or a passer-by, who chooses to assist an injured person or a person in distress on the road;

And whereas, as per sub-paras (7) and (8) of para 1 of the said guidelines dated 12th May, 2015, Standard Operating Procedures were to be framed for the examination of a good Samaritan who voluntarily declared himself to also be an eye witness, by the Police or during trial;

And whereas, the Central Government published the required Standard Operating Procedures for the examination of such eyewitness by the Police or during trial in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 21st January, 2016.

And whereas, the Hon'ble Supreme Court in the above said writ petition vide its order dated 30th March, 2016, approved the said guidelines and Standard Operating Procedures with certain modifications in the notification of the Central Government, Ministry of Road Transport and Highways dated the 21st January, 2016 with respect to the Standard Operating Procedures and directed that the modified guidelines shall be complied with by the Union territories and all the functionaries of the State Governments as law laid down by the Hon'ble Court under article 32 read with article 142 of the Constitution to be treated as binding as per the mandate of article 141.

And whereas, pursuant to the directions of the Hon'ble Supreme Court dated the 30th March, 2016, the Central Government hereby amends the notification of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Part I, Section 1, vide File No. RT-25035/101/2014-RS, dated the 21st January 2016:—

In the said notification in para **2**, for sub-para 7, the following sub-para shall be substituted, namely:-

" 7. The affidavit of Good Samaritan if filed, shall be treated as complete statement by the Police official while conducting the investigation. In case statement is to be recorded, complete statement shall be recorded in a single examination"

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, vide F. No. RT. 25035/101/2014-RS, dated the 21st January, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKH NATH YADAV
Digitally signed by GORAKH NATH YADAV
Date: 2016.08.22 13:10:40 +05'30'